



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर गैंगस्टर एक्ट के 04 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 410/2011 धारा- 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय ईसी एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 01.गोंदीलाल उर्फ नीरज पुत्र सुरेश यादव 02.मिलन उर्फ राममिलन पुत्र रामसनेही निवासीगण मोहल्ला नई बस्ती थाना सुमेरपुर 03.नरेश पुत्र जगत सिंह निवासी हरदौली थाना सजेती जनपद कानपुर नगर 04.अमर सिंह पुत्र कालका यादव निवासी खण्डौत थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40,000 के अर्थदंड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री सुशील
कुमार त्रिपाठी



विवेचक-
उ0नि0 राकेश कुमार
सरोज



पैरोकार- थाना राठ
का0 बिजमान